राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक पं0 4(11)चिस्वा/2/2014 जयपुर, दिनांक 17.6.17

–:आदेश:–

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 में किये गये संशोधन अनुसार नियम–24 बी एवं 24 बीबी के अन्तर्गत उपलब्ध प्रावधानो के अनुसरण में चिकित्सा अधिकारी के पद पर 12 वर्ष एवं कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर 2 वर्ष की राज्य सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 11.07.2011 से डी.ए.सी.पी. स्कीम के तहत वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति प्रदान करने हेतु दिनांक 11.12.2015 को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें **डॉ. प्रवीण चतुर्वेदी, कनिष्ठ विशेषज्ञ** (शिशुरोग), जन्मतिथि 01.03.1964 का नाम प्रस्तुत हुआ। डॉ. चतुर्वेदी के विरूद्व कार्मिक विभाग के ज्ञापन दिनांक 01.06.2010 के द्वारा सीसीए नियम–16 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी होने के कारण इनका पदोन्नति परिणाम स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा बन्द लिफाफें में रखे जाने की अभिशंषा की गई।

डॉ. प्रवीण चतुर्वेदी, कनिष्ठ विशेषज्ञ को उक्त प्रकरण में कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांकः प.1 (087) कार्मिक/क–3/जॉच/2010 दिनांक 29.10.2015 के द्वारा 2 वार्षिक वेतन वृद्वि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित गया है तथा अनुपस्थिति अवधि दिनांक 03.08.2009 से जुलाई–2011 तक को अकार्य अवधि माने जाने के आदेश प्रदान किये गये है। अतः डॉ. प्रवीण चतुर्वेदी, कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशुरोग), जन्मतिथि 01.03.64 को डी.ए.सी.पी. स्कीम के तहत दिनांक 11.07.2011 के स्थान पर दिनांक 11.07.2013 से पदोन्नति प्रदान करने हेतु दिनांक 11.12.2015 को आयोजित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक मे की गई अभिशंषाओ का पुर्नविलोकन किया गया।

अतः डॉ. प्रवीण चतुर्वेदी, कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशुरोग), जन्मतिथि 01.03.64 को कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशुरोग) के पद पर 2 वर्ष ओर अधिक की नियमित राज्य सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत **वरिष्ठ विशेषज्ञ (शिशुरोग)** के पद पर दिनांक 11.07.2013 (2 वा.वे. वृ. संचयी प्रभाव से रोके जाने के फलस्वरूप) से एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है।

उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप डॉ. प्रवीण चतुर्वेदी यथावत पदस्थापित रहेगे।

राज्यपाल की आज्ञा से

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री, राज, सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज. सरकार, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. सरकार, जयपुर
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर
6. संबंधित अधिकारी
7. प्रभारी सर्वर रूम, निदेशालय, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करावें।

(ओ. पी. वर्मा)
सहायक शासन सचिव